विजयसिंह पुत्र हनुमानप्रसाद जाति जाट निवासी निरवाणा बनाम स्टेट

किस्म मुकदमाः— 136 भू—राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्याः 115 सन 2020

GCMS: 2020/00324

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.9.20	आज यह पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में बताया कि प्रार्थी के नाम से तहसील सूरतगढ़ के चक 6 एन.आर.डी. के खाता संख्या 34 जमाबन्दी सम्वत 2070—2073 के पत्थर नम्बर 91/321 में किला नम्बर 1 ता 25 में कुल 25 बीघा 6.199 हैक्टेयर भूमि में से 2.066 हैक्टेयर कमाण्ड हैं जिसमें प्रार्थी के नाम से ना. संख्या 126 दिनांक 02.10.2015 को राजस्व रिकार्ड दर्ज हैं। प्रार्थी का नाम इन्तकाल के समय विजयकुमार पुत्र हनुमान प्रसाद सहबन से लिखा गया है जबकि प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेज जैसे आधारकार्ड, पहचानपत्र, पेन कार्ड में विजयसिंह हैं। प्रार्थी का वास्तविक नाम विजयसिंह हैं। राजस्व रिकार्ड में सहबन से विजयकुमार अंकित हो गया है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में विजयकुमार के स्थान पर विजयसिंह दर्ज करवाना चाहता हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन है कि जमाबन्दी रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम **विजयकुमार पुत्र हनुमान प्रसाद** के स्थान पर **विजयसिंह पुत्र हनुमान प्रसाद** अंकित करने का आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम जारी किया जावे। शेष अंकन यथावत रखे जावे। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सूरतगढ़ व पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार चक 6 एन.आर.डी. के पत्थर नम्बर 91/321 का 2.066 हैक्टेयर कमाण्ड रकबा मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2070—73 विजयकुमार पुत्र हनुमान प्रसाद जाति जाट निवासी निरवाना खातेदार दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा राशनकार्ड, पहचान पत्र, पेनकार्ड व आधारकार्ड आदि में प्रार्थी का नाम विजयसिंह पुत्र हनुमान प्रसाद दर्ज है। प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी व रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार यह एक तकनीकी त्रूटि हैं जो दुरूस्त की जानी आवश्यक हैं, इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 6 एन.आर.डी. के खाता संख्या 34 जमाबन्दी सम्वत 2070—2073 के पत्थर नम्बर 91/321 में 2.066 हैक्टेयर कमाण्ड के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम **विजयकुमार पुत्र हनुमान प्रसाद** के स्थान पर **विजयसिंह पुत्र हनुमान प्रसाद** दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। जमाबन्दी की अन्य समस्त प्रविष्टियां पूर्ववत रहेगी। तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। आदेश सुनाया गया। (मनोज कुमार मीणा) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज0)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 17:44:55 IST
Reason: SelfAttested